फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री मांगीलाल सालवी निवासी विजयपुरा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 02/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.01.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ द्वारा जरिये क्रमांकः उपदे/सूचना/2019/98–99 दिनांक 15.10.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार सूचना का अधिकार 2005 की धारा 19(1) के अर्न्तगत अपीलार्थीया श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री मांगीलाल सालवी निवासी विजयपुरा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के द्वारा चाही गयी बिन्दु संख्या 1 की सूचना बाबत कार्यालय हाजा के न्याय शाखा से संबंधित पूर्व व वर्तमान कर्मचारी की रिपोर्ट अनुसार पुलिस थाना देवगढ़ द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा नम्बर 170/2019 धारा 107–116 (3) CRPC की सम्पूर्ण पत्रावली मय सम्मन नोटिस व आर्डर सीट चाही गई जो कार्यालय में दर्ज रजिस्टर का अवलोकन किये जाने पर यह पाया गया की चाही गई उपरोक्तानुसार पत्रावली रजिस्टर में दर्ज नहीं है। बिन्दु संख्या 02 में अपीलार्थीया द्वारा प्रथम अपील मे चाही गई सूचना बाबत कार्यालय हाजा के न्याय शाखा से सम्बधित पूर्व व वर्तमान कर्मचारी की रिपोर्ट अनुसार पुलिस थाना देवगढ़ द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा नम्बर 146/2019 धारा 107–116(3) सी.आर.पी.सी. की सम्पूर्ण पत्रावली मय सम्मन नोटिस व आर्डर सीट चाही गई जो कार्यालय में दर्ज रजिस्टर का अवलोकन किये जाने पर यह पाया गया उपरोक्तानुसार पत्रावली रजिस्टर में दर्ज नहीं है। कार्यालय हाजा में उपरोक्तानुसार चाही गई सूचना दर्ज रजिस्टर नहीं होने से अपीलार्थीया को सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ की रिपोर्टानुसार अपीलार्थीया द्वारा चाही गई सूचना दर्ज रजिस्टर नहीं होने से सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)